



बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०

“खाद्य भवन” दरोगा राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-२ पटना ८००००१

आदेश

विदित हो कि केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना अंतर्गत चावल बांटने के मद में औपबंधिक अनुदान भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा दिये गये गारंटी के अनुपालन में बैंक ऑफ इंडिया, बी०सी०पी० मार्ग शाखा के खाता सं०-४४१०३०११०००००१६ में प्राप्त कुल रु० १३७७.६८ करोड़ की राशि एवं पूर्व से उपलब्ध राशि रु० १९.०० लाख को निम्नवत् वापस करने की स्वीकृति दी जाती है, जो इस प्रकार है-

क्र०	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (रु० करोड़ में)
१.	इंडियन बैंक	६०९२५१६७५१	१६०.००
२.	आन्धा बैंक	०४१८१३१०००००३४४	२५६.००
३.	बैंक ऑफ इंडिया	४४१०३०११०००००३४	३४४.८०
४.	बैंक ऑफ बड़ौदा	१८६३०४०००००४५३	२६१.९९
५.	कॉरपोरेशन बैंक	३२३००४०११६०००१	१७४.४६
६.	केनरा बैंक	०३५२२६१०००६२२	१८०.६२
कुल योग			१३७७.८७

इस प्रकार सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष २०१५-१६ के लिए प्रदत्त रु० २,०००.०० करोड़ की गारंटीयुक्त ऋण की पूरी वापसी की जाती है।

ह०/-

प्रबंध निदेशक ।

ज्ञापांक-५१५७५३/१७६३३ दिनांक- १/८/१७

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना/सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक ।